भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1713
जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।
7 श्रावण, 1948 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका

1713. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की पहुंच, सामान्य सेवा केंद्रों और डिजिटल साक्षरता पहलों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है.

(ङ) क्या रोजगार सृजन, शासन की दक्षता और डिजिटल समावेशन पर पड़े प्रभाव का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है;

(च) तमिलनाडु सहित ज़मीनी स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन में राज्यों की क्या भूमिका है; और

(छ) क्या डिजिटल इंडिया विस्तार के अगले चरण के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी मापन योग्य मुख्य परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(छ):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल अवसरंचना को सुदृढ़ करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

सरकार ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में डिजिटल अभिगम और ई-गवर्नेंस में सुधार के लिए कई पहलों और नीतिगत उपायों को लागू किया है। कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के तेजी से विस्तार में योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, देश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, और पिछले दशक में भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है।

- **दूरसंचार, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच:** भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 116.69+ करोड़ और मार्च, 2026 में 133+ करोड़ हो गए। तमिलनाडु में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या 8.41 करोड़ को पार कर गई है।
- इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 82.48 करोड़ हो गई और मार्च, 2026 में 109.27 करोड़ हो गई। तमिलनाडु में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या 6.90 करोड़ को पार कर गई है।
- **भारतनेट -** गांवों को इंटरनेट से जोड़ना: जून 2026 तक, तमिलनाडु में 1,1118 ग्राम पंचायतों सहित देश में भारतनेट परियोजना के तहत लगभग 2.21 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित 4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत, जून 2026 तक, तमिलनाडु में 257 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।
- दिनांक 30.06.2026 तक, तमिलनाडु में डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) की विभिन्न चल रही परियोजनाओं के तहत कुल 1886 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
- **आधार:** आधार ने सुरक्षित और तत्काल डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए एक विश्वसनीय बायोमेट्रिक पहचान मंच बनाया। आधार नामांकन 2010-11 में 0.42 करोड़ से बढ़कर जून 2026 तक 144+ करोड़ से अधिक हो गया। तमिलनाडु में 8.18 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तीर्व, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
 - यूपीआई 55.49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 731 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।
 - यूपीआई भारत के 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतान और वैश्विक वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान के लगभग 50 प्रतिशत को शक्ति प्रदान करता है।
- **डिजिलॉकर** नागरिकों को मूल जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म में 71.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिसमें 2,822 ऑनबोर्ड जारीकर्ताओं द्वारा 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए तमिलनाडु राज्य में 2.18 करोड़ से अधिक आधार सक्षम पंजीकरण हुए हैं।

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)** नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा एकीकृत 17 सेवाएं शामिल हैं।
- **ई-साइन (ई-हस्ताक्षर):** ई-हस्ताक्षर एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, जिसे एक ई-हस्ताक्षर उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से सेवा वितरण अनुप्रयोगों के

साथ एकीकृत किया जा सकता है। ई-हस्ताक्षर सेवा कानूनी रूप से स्वीकार्य रूप में नागरिकों द्वारा दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। सभी ई-हस्ताक्षर सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) द्वारा कुल 155.56 करोड़ ई-हस्ताक्षर जारी किए गए।

- **एपीआई सेतु:** एपीआई सेतु परियोजना का उद्देश्य डेटा स्वामियों और अंतर- एवं अंतः-सरकारी एजेंसियों के बीच डेटा के कुशल साझाकरण को बढ़ावा देना है, ताकि एकीकृत तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरऑपरेबल प्रणालियों के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में, पोर्टल ने एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म पर केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा प्रदान किए गए 8,904 एपीआई प्रकाशित किए हैं।
- **मेरी पहचान/नेशनल सिंगल साइन-ऑन (एनएसएसओ)** एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल्स का एकल सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों की 17,540 सेवाओं को एनएसएसओ के साथ एकीकृत किया गया है। मेरी पहचान प्लेटफॉर्म पर 233.59 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** लाभार्थियों को प्रत्यक्ष कल्याणकारी लाभ हस्तांतरित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डुप्लिकेट/नकली लाभार्थियों को समाप्त करने के लिए आधार का लाभ उठाता है। देश भर में डीबीटी के माध्यम से 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं।
- **ई-संजीवनी** - ई-संजीवनी आपके स्मार्टफोन से सीधे तौर पर डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और सुलभ पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने देश भर में 48 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा की है, जिसमें तमिलनाडु राज्य के 4.29 लाख से अधिक रोगी शामिल हैं।
- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** 800 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करते हैं, जिससे ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से लास्ट-माइल सेवा वितरण में वृद्धि होती है। मई 2026 तक, देश भर में 5.01 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर 3.91 लाख शामिल हैं। तमिलनाडु में, 18,632 सीएससी चालू हैं, जिनमें से 6,253 ग्राम पंचायत स्तर पर हैं। विवरण https://csc.gov.in पर सीएससी पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं ।

उपरोक्त के अलावा, प्रमाण पत्र जारी करने, पेंशन से संबंधित सेवाओं और लोक कल्याण योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी सेवाएं राज्य सरकार के पोर्टलों और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी (टीएनईजीए) ने सरकारी विभाग की विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं के ऑनलाइन वितरण के लिए ई-सेवा एप्लिकेशन विकसित किया है। यह नागरिकों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है, सेवाएं शुरू से अंत तक कम्प्यूटरीकृत हैं। सेवाओं की सूची https://www.tnesevai.tn.gov.in/Citizen/PortalLogin.aspx पर अवलोकित की जा सकती है।

डिजिटल कौशल का निर्माण: भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल पहुँच तक सीमित नहीं है; यह लोगों और संस्थानों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और देश भर में नागरिकों को सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक है, जिसमें देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है (6 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध)। तमिलनाडु राज्य में, इस योजना के तहत 14.07+ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।
- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम, भारत** सरकार और नैसकॉम की एक सहयोगी पहल है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रदान करती है। अब तक, 34 लाख

से अधिक उम्मीदवारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 23 लाख से अधिक ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया है, जिसमें तमिलनाडु के 5.81 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)** देश भर में 56 केन्द्रों और 9,000 से अधिक साझेदार संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एसीसी और सीसीसी सहित डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नाइलिट की चेन्नई में अपने केंद्र और राज्य भर में 35+ भागीदार संस्थानों के माध्यम से तमिलनाडु में सुदृढ़ उपस्थिति है। पिछले 03 वर्षों में, अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, नाइलिट ने तमिलनाडु राज्य में 37500+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/कुशल बनाया है।

भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग: हमारा आईटी उद्योग निर्यात के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन में उत्तरोत्तर योगदान दे रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। नैसकॉम के अनुसार, आईटी और आईटीईएस उद्योग ने वित्त वर्ष 25 में 283 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न करने का अनुमान लगाया है। भारत के 2,100+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और एआई-संचालित भूमिकाओं में लगभग 26 लाख पेशेवरों को रोजगार सृजित करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में रोजगार सृजन: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के विकास से पर्याप्त रोजगार सृजन हुआ है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों का समर्थन करता है।

डिजिटल उद्यमिता: भारत में टियर- II और टियर- III शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी डोमेन में उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

- सरकार ने **73 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)** केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें से 65 केन्द्र टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। इनमें से पांच (05) केन्द्र तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली में स्थापित किए गए हैं
- **'जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस)' योजना** में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की खोज, पोषण और विकास के लिए लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। यह योजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में 65 इन्क्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है

डेटा गोपनीयता, साइबर जागरूकता और नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा: सरकार एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं। सरकार ने देश में डाटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा तंत्र और डिजिटल अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक सिद्धांत आधारित और क्षेत्र अज्ञेयवादी ढांचे के रूप में अधिनियमित किया गया है।
- अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियम") को 13 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम और नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही संसाधित किया जाए, जिसमें स्वतंत्र, सूचित, विशिष्ट और स्पष्ट सहमति प्राप्त की गई हो, तथा इससे पहले या

इसके साथ एक सूचना दी जाए जिसमें एकत्र किए जा रहे व्यक्तिगत डेटा और उन उद्देश्यों का विवरण हो जिनके लिए उसे संसाधित किया जाना है।

- भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के उपबंधों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सर्ट-इन दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र (टीएसओसी), भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), राष्ट्रीय केंद्र सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) आदि सहित साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ कार्य करता है।
- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के तहत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।
- सर्ट-इन कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्धताओं और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और परामर्शी निदेश जारी करता है।
- सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए): सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन तैयार करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा आईएसईए कार्यक्रम लागू किया गया है। अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन किए गए:

सरकार ने समय-समय पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई-गवर्नेंस पहलों का मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन मॉनीटरिंग, स्टेकहोल्डर परामर्श और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से किया है। प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन आम तौर पर स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जो निष्पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन में शामिल नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन नवंबर, 2025 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), दिल्ली के माध्यम से आयोजित किया गया था। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सूचना तक पहुंच में सुधार और सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नागरिक सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इसने पारदर्शिता को बढ़ाया है, सेवा वितरण समय को कम किया है, कागज रहित और फेसलेस शासन को बढ़ावा दिया है, डिजिटल समावेशन का विस्तार किया है और बेहतर सामाजिक और आर्थिक परिणामों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया है।

इसके अलावा, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद द्वारा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी 2.0) का मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन किया गया था, जबकि एंड-टर्म इम्पैक्ट असेसमेंट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एएमएस) द्वारा आयोजित किया गया था। मूल्यांकन में बताया गया है कि 98 % लाभार्थी सीएससी के माध्यम से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम थे, 93 % ने अपने जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला और 95 % ने सीएससी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया है।

बजट आवंटन और उपयोग: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने बजटीय प्रावधान हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हुए डिजिटल इंडिया पहल के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो नीतिगत ढांचा, दिशानिर्देश और सहायता प्रदान करता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने नामित विभागों/एजेंसियों के माध्यम से डिजिटल इंडिया पहल के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें डिजिटल अवसरंचना का नियोजन और संचालन और राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं का वितरण शामिल है।
एमईआईटीवाई कार्यक्रम के तहत आठ केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजनाओं को लागू करता है, जिसके लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा आवंटित और उपयोग किए गए बजट का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**आवंटित धनराशि (करोड़ रुपये में)**	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
2021-22	6388.00	4504.36
2022-23	5400.50	3863.13
2023-24	4428.01	4174.14
2024-25	4173.00	3784.93
2025-26	5144.45	4638.28
